न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 13 सन 2019

अनवान :–

1. रमेश पुत्र नाबालिग पुत्रान बबलु जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी बबलु जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. दिव्या पुत्री नाबालिग पुत्रान बबलु जरिये संरक्षिका माता सुमन पत्नी बबलु जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. भागाराम पुत्र भीयाराम जाति धानक निवासी बालासर तहसील नोहर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अरथाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल

निर्णय दिनांक :– 11/2/21

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 162/136 की कुल 7.8530हैक में से 1/5 हिस्सा गैरसायल न0 1 भागाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति है जो विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम दर्ज करवाने का वाद पेश किया हुआ है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 अकेले के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा कर वादीगण के उनके हकों से महरूम रखने की नियत से कभी भी वाद भूमि को बेचान कर सकता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 का पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि जब तक वाद में वादीगण के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे रहन बैय ना करे।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 162/136 की कुल 7.8530हैक में से 1/5 हिस्सा गैरसायल न0 1 भागाराम के नाम से दर्ज है को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकील ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गेरसायल न0 1 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी गैरसायल न0 1 स्वय या उनका कोई प्लीडर न्यायालय में उपस्थित नही आने के कारण एकपक्षिय कार्यवाही की जाकर वादीगण की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 162/136 की कुल 7.8530हैक में से 1/5 हिस्सा गैरसायल न0 1 भागाराम के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि जो गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है पैतृक सम्पति है जो विरास्तन से गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज हुई है गैरसायल न0 1 कर्ता खानदान होने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का भी हक हिस्सा है वादीगण अपने हक हिस्सा की भूमि का अपने नाम दर्ज करवाने का वाद पेश किया हुआ है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 अकेले के नाम दर्ज है जिसका नाजायज फायदा उठा कर वादीगण के उनके हकों से महरूम रखने की नियत से कभी भी वाद भूमि को बेचान कर सकता है यदि गैरसायल न0 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायलान को

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

..1

Scanned with CamScanner

नापुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये सायलान गैरसायल न0 1 का पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि जब तक वाद में वादीगण के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे रहन बैय ना करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान वाद भूमि में हक हिस्सा है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 162/136 की कुल 7.8530हैक में से 1/5 हिस्सा गैरसायल न0 1 भागाराम के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार विरास्तन से गैरसायल न0 1 को प्राप्त होनी पाई जाती है अर्थात पैतृक सम्पति सम्भावित है जो वाद में तय होना है।

वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के कारण गैरसायल न0 1 कभी भी वाद भूमि का बेचान कर सकता है जिससे सायलान के हकों पर प्रभाव हो सकता है।

सायलान का वाद भूमि में किसी प्रकार का हक हिस्सा है या नही वाद में तय होना है जब तक सायलान के हकों का निर्धारण नही हो जाता तब तक वाद भूमि की यथास्थिति बनाई रख जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायलान के पक्ष में साबित होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर कार्यालय द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner